तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज संतोष टाक बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 153/2023 (ऑनलाईन नं. 353253709617302)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी संतोष टाक, निवासी ग्राम नागलवास पोस्ट पालड़ी राणावता तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.05.23. में उसके द्वारा (1) पीएलपीसी केस नं. 7/2022 की प्रारम्भ से लेकर आज तक समस्त दस्तावेजं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 880 दिनांक 26.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 856 दिनांक 21.07.2023 पंजीकृत पत्र द्वारा कुल 14 पृष्ठों की बिन्दुवार प्रमाणित सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना पंजीकृत डाक से प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	